



राजस्थान सरकार  
आयुक्तालय, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर  
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan

Website: <http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/>  
e-mail: [jdadmncce@gmail.com](mailto:jdadmncce@gmail.com)

Ph. NO. 0141-2702247 (0)

क्रमांक: एफ.1(08)पीएस/आकाशि/2023/6400

दिनांक: 12-07-2023

आदेश

राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम, 1999 के नियम 32 के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर चयन के उपरान्त निम्नलिखित अतिरिक्त निजी सचिवों को वर्ष 2023-24 की रिक्तियों के प्रतिकूल उनके नाम के आगे अंकित तिथियों से एतद् द्वारा नियमित रूप से निजी सचिव के पद पर निर्धारित वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल नं0 एल-15 (L-15) में पदोन्नत किया जाता है:-

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम	वर्तमान पदस्थापन	चयन तिथि
<b>गैर अनुसूचित क्षेत्र</b>			
1	श्री अशोक कुमार गुप्ता	आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, जयपुर	01-04-2023
2	श्री कृष्ण कान्त जोशी	राजकीय महाविद्यालय, अजमेर	01-04-2023
3	श्री संतोष कुमार	आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, जयपुर	01-04-2023
4	श्रीमती प्रीति पुरोहित	क्षेत्रीय कार्यालय, कॉलेज शिक्षा, बीकानेर	01-04-2023

उक्त कार्मिक अपने पदोन्नत पदों को यथा आवश्यकता अस्थायी तौर पर क्रमोन्नत मानते हुए कार्यग्रहण कर अग्रिम आदेश तक यथावत कार्य करते रहेंगे। पदोन्नत कार्मिकों के पदोन्नति आदेश उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से प्रभावी होंगे। इनके पदस्थापन आदेश बाद में पृथक से जारी किये जायेंगे। **पदोन्नति पर वास्तविक परिलाम कार्यग्रहण तिथि से देय होंगे।**

उपर्युक्त कार्मिक दिनांक 18-07-2023 तक अपने पदोन्नत पद पर आवश्यक रूप से कार्यभार ग्रहण कर लें। इनकी कार्यग्रहण काल अभिवृद्धि सम्बन्धी प्रार्थना स्वीकार नहीं की जावेगी।

(सुनील शर्मा)  
आयुक्त

क्रमांक: एफ.1(08)पीएस/आकाशि/2023/6400

दिनांक: 12-07-2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर।
2. सम्बन्धित सहायक निदेशक/प्राचार्य - कृपया सम्बन्धित कार्मिकों की पदोन्नत पद पर कार्यग्रहण की सूचना अथवा इनके द्वारा पदोन्नति स्वीकार नहीं किये जाने की स्थिति में इनका पदोन्नति फॉरगो करने संबंधी प्रार्थना-पत्र निर्धारित अवधि में आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर को email -[jdadmncce@gmail.com](mailto:jdadmncce@gmail.com) पर भिजवाये। उक्त सूची में सम्मिलित कार्मिक जो मूल पदस्थापन स्थान से अन्यत्र कार्य व्यवस्थार्थ कार्यरत हैं, को पदोन्नति पर मूल पदस्थापन महाविद्यालय/कार्यालय में कार्यग्रहण कराने के उपरांत उनके कार्य व्यवस्थार्थ महाविद्यालय/कार्यालय के लिए अविलम्ब कार्यमुक्त कर इस कार्यालय को सूचित करें।
3. संबंधित कार्मिक।
4. वेबसाईट प्रभारी, आयुक्तालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. स्थापना शाखा/रोकड शाखा।
6. रक्षित पत्रावली।

आयुक्त

Signature valid

Digitally signed by Sunil Sharma  
Designation: Commissioner  
Date: 2023.07.12 14:15 IST  
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4252231

